संख्याः04/2019/486/61-2019-67/3-2017(नि0-3)

प्रेषक,

ओम प्रकाश यादव,
अनुसचिव,
निर्वाचन विभाग।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊः दिनांक 07 अगस्त, 2019

विषयः- प्रदेश के 04 जनपदों गोरखपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद एवं हरदोई में वी0वी0पैट के भण्डारण हेतु वेयरहाउस/गोदाम के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 04 जनपदों यथा गोरखपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद एवं हरदोई में वी0वी0पैट के भण्डारण हेतु वेयरहाउस/गोदाम के निर्माण कराये जाने के लिए संलग्न सूची के अनुसार कुल धनराशि रू0 978.00 लाख की प्रशासकीय एवं रू0- 5,77,17,500/- (रूपये पांच करोड़ सतहत्तर लाख सत्रह हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता के अनुरूप ही किया जायेगा जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि शासन के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(3) संलग्न सूची में उल्लिखित 04 जनपदों में वी0वी0 पैट के भण्डारण हेतु वेयरहाउस/गोदाम के निर्माण हेतु शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें परिवर्तन शासन की पूर्व अनुमति के बिना कदापि नही किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2020 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(6) उपर्युक्त कार्यो को निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भविष्य मे पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नही की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा। वर्तमान तथा भविष्य में उक्त कार्यो की अन्य योजना में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगें।

(8) उक्त के अतिरिक्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014, शासनादेश संख्या-बी-3-1840/दस-2014-100(4)/2002-ब0मै0, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014, शासनादेश संख्या-ई-8-157/दस-2013-1074/2012, दिनांक 12 फरवरी, 2013 तथा शासनादेश संख्या-5/2015/ई-8-1092/दस-2015-1074/2012, दिनांक 08 सितम्बर, 2015 में दी गयी व्यवस्था एवं समय- समय पर जारी अन्य सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-ई0वी0एम0/वी0वी0पैट भण्डारण के लिए गोदाम निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" मद के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित आदेशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

ओम प्रकाश यादव
अनु सचिव।

संख्या- 04/2019/486(1)/ /61-2019-67/3-2017 (नि0-3), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश सं0- 04 /2019/486/61-2019-67/3-2017 (नि0-3), दिनांक 07 अगस्त, 2019 का संलग्नक।

क्रं0 सं0	जनपद का नाम	वि0 स0 नि0 क्षेत्र की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)	निर्माणकर्ता ऐजेन्सी का नाम	स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	गोरखपुर	9	231.58	यू0पी0सिडको	11579000
2	प्रयागराज	12	287.83	लो0नि0वि0	14391500
3	गाजियाबाद	5	282.24	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	14112000
4	हरदोई	8	176.35	सी0 एण्ड डी0 एस0 यू0पी0 जल निगम, हरदोई	17635000
कुल योग			978.00		57717500

(रू0 पांच करोड़ सतहत्तर लाख सत्रह हजार पांच सौ मात्र)

ओम प्रकाश यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in